न्यायालयः: अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद बदायूँ।

Bail Application/157/2026

<u>आदेश</u>

<u>11.03.2026</u>

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त **मटरू पुत्र महेन्द्र** की ओर से **फौजदारी वाद संख्या-3933/2025, मुकदमा अपराध संख्या-0187/2025** में अन्तर्गत **धारा-115(2), 118(1), 352, 351(2), 117(2), भारतीय न्याय संहिता थाना-जरीफनगर, जनपद बदायूँ** में पेश किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अभियोजन अधिकारी को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभियुक्त आज व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रबल विरोध अंकित किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रश्नगत मामले में विवचक द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं एवं अभियुक्त जमानत संस्थित करने को तैयार है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत दिये जाने का प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/-हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू** दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद बदायूँ।
J.O.CODE.UP3780